BA-II (H)
paper - IV

बीरेन्द्र कुमार पासवान
अतिथि शिक्षक
राजनीति विज्ञान विभाग
यू. आर कॉलेज रोसड़ा

Question :- आमेरिका प्रतिनिधि सभा कि शक्तियाँ व कार्यों का वर्णन करे ?

Ans :- आमेरिका प्रतिनिधि सभा के शक्ति व कार्य निम्न है।

(1) विधायी शक्तियाँ :- आमेरिकी संविधान के अनुसार आमेरिका कॉंग्रेस को विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त है। कानुन निर्माण के सम्बन्ध में कॉंग्रेस के दोनों सदन सीनेट व प्रतिनिधि सभा को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी विधेयक जबतक दोनों सदनों से पास न हो जाय तबतक वह कानुन नहीं बन सकता है। वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही पेश किया जाता है सीनेट में नहीं। गैर वित्त विधेयक के दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

(2) संवैधानिक संसोधन कि शक्ति — कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा

दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संविधान में संशोधन का कार्य किया जाता है।

(3) कार्यपालिका शक्ति – प्रतिनिधि सभा द्वारा युद्ध कि घोषणा कि जाती है परन्तु प्रतिनिधि सभा इस शक्ति का प्रयोग सीनेट के साथ मिलकर करती है दूसरा वह अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जाँच कर सकती है।

(4) राष्ट्रपति को निर्वाचित करने कि शक्ति – राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। परन्तु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत अगर प्राप्त नहीं हो तो प्रतिनिधि सभा तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति नियुक्त करती है।

Scanned with CamScanner

② न्यायपालिका सम्बंधी कार्य -

न्याय के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और असैनिक पदाधिकारियों के ऊपर महाभियोग कि कार्यवाही प्रारंभ करे। आमेरिकी सीनेट यह कार्य नहीं कर सकती सीनेट उस पर सिर्फ सुनवाई करती है।